न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 97/2014

हरीराम पुत्र ईशरराम जाति कुम्हार निवासी 2 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. नत्थूराम
2. सुभाष
3. गोपीराम

पिसरान रामलाल जाति कुम्हार निवासी 2 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। —रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 23.09.2014

उपस्थित—

श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री विरेन्द्र सिहाग़, अभिभाषक रेस्पों.

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 16.02.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी/अपीलार्थी ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वह चक 2 ई छोटी के मु.नं. 39 की 10 बीघा भूमि जो उनके नाम से खाता सं. 44/16 में नत्थूराम के नाम से, 111/16 में सुभाष के नाम से व खाता नं. 22/16 में गोपीराम के नाम से दर्ज है किसी को रहन, बैय , मुन्तकिल करने, मु.नं. 39 के कि.नं. 15, 16, 25 को बाज व ममनू रहे।

16/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अप्रार्थीगण ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी है इसलिए उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे। सुनवाई करने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने दिनांक 23.09.2014 को प्रा.पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रा.पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया, जबकि वकील रेस्पों. ने कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पों. की खातेदारी है एवं वसीयत से प्राप्त हुई है। प्रार्थी का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट ने अपील में जो बिन्दु उठाए हैं उनका निर्णय अधी.न्यायालय द्वारा वाद में किया जाना है। अपील में ऐसा कोई तथ्य नहीं उठाया जिसके आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा की सीमा तक अपीलांट का किसी प्रकार से कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता हो। अधी. न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में विस्तृत विवेचन करते हुए प्रार्थी अपीलांट का प्रा.पत्र खारिज किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/2/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर